सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 21, गुरूवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 12, *2024*

Agrahayana 21, Thursday, Saka 1946- December 12, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2023

संख्या प.एफ. न. 3(23)वन/2022 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात जयपुर जिले की जयपुर एवं सांगानेर तहसील स्थित आरक्षित वन खण्ड बन्द की गढ़ी आमागढ़ संख्या 92, बीड़ लालबेरी एवं वन खण्ड खो नागोरियान झालाना डूंगरी संख्या 93 की आरक्षित वनभूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में झालाना-आमागढ़ संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची-।

क्र॰ सं॰	जिला	खण्ड	वन खण्ड का नाम	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	जयपुर	खण्ड-A	बन्द की गढ़ी आमागढ़ संख्या-92	1524.3368	आरक्षित वन
			बीड़ लालबेरी	112.1991	आरक्षित वन
		खण्ड-B	खो नागोरियान झालाना डूंगरी संख्या-93	1870.6339	आरक्षित वन
योगः-				**3507.1698 है0**	

अनुसूची-।।

खण्ड-A

उत्तरी सीमा	आरक्षित वनखण्ड आमागढ़ सं. 92 के ग्राम बदनपुरा में मीनारा सं. 168 से वनसीमा लाईन होकर ग्राम जयसिंहपुरा खोर में मीनारा सं. 37 तक वन सीमा लाईन।
पूर्वी सीमा	ग्राम जयसिंहपुरा खोर में मीनारा सं. 37 से ग्राम जामडोली के मीनारा सं. 63 (जो कि वन खण्ड लालबेरी का मीनारा 16 भी हैं।) फिर मीनारा 16 से 1 एवं

	मीनारा संख्या 1 से वन खण्ड लालबेरी के मीनारा सं. 13 तक (जो कि आमागढ़ की वन सीमा पर स्थित हैं।) यहां से पुनः आमागढ़ वनखण्ड की वन सीमा से होकर मीनारा सं. 75 तक।
दक्षिणी सीमा	वनखण्ड आमागढ़ के मीनारा सं. 75 से 77 तक तथा यहां से घाट की गूणी सड़क होते हुए नाहर सिंह मंदिर के पष्चिमी ओर वन खण्ड आमागढ़ की सीमा के मीनारा सं. 112 तक।
पश्चिमी सीमा	वनखण्ड आमागढ़ के मीनारा सं. 112 से ग्राम जामडोली, गलता एवं ग्राम बदनपुरा की हाल पष्चिमी वन सीमा के सहारे-सहारे होकर आमागढ़ के मीनारा सं. 168 तक।

खण्ड-B

उत्तरी सीमा	आरक्षित वनखण्ड खो नागोरियान झालाना डूंगर सं. 93 के ग्राम जामड़ोली में वन सीमा के मीनारा सं. 6 जो घाट की गूणी वन चौकी के पास स्थित है, से घाट की गूणी सड़क के सहारे होते हुए मीनारा सं. 33 तक एवं यहां से पालडी मीना की वन सीमा होते हुए ग्राम खो नागोरियान में मीनारा सं. 47 तक।
पूर्वी सीमा	ग्राम खो नागोरियान में मीनारा सं. 47 से वन सीमा लाईन होकर ग्राम टोड़ी रमजानीपुरा (वन खण्ड झालाना डूंगर सं. 93) में मीनारा सं. 103 तक।
दक्षिणी सीमा	मीनारा सं. 103 से वनसीमा के सहारे ग्राम बिंदायका स्काउट गाइड केम्पस के दक्षिणी पष्चिमी कोने के मीनारा सं. 118 तक। यहां से हाल वन सीमा के सहारे सहारे मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र के पीछे से होकर झालाना महल के पास वन खण्ड झालाना डूंगर संख्या 93 के मीनारा सं. 129 हाल सड़क तक।
पश्चिमी सीमा	ग्राम झालाना की वन सीमा के मीनारा सं. 129 से होकर ग्राम झालाना में हाल वन सीमा तथा आर्बोरेटम केम्पस की पष्चिमी सीमा होकर (जगतपुरा सड़क से ट्रांसपोर्ट नगर को जाने वाली) बाईपास के पूर्वी किनारे एवं यहां से बाईपास को आवंटित 90 मीटर भूमि को छोडते हुए इस भूमि के पूर्वी किनारे-किनारे चलते हुए सत्यसांई गर्ल्स कॉलेज को वन सीमा से बाहर करते हुए पुनः बाईपास एवं हाल वन सीमा से होते हुए वनखण्ड झालाना डूंगर के मीनारा सं. 6 तक।

राज्य पाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।